रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-19092025-266253
CG-RJ-E-19092025-266253

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4099] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2025/भाद्र 26, 1947
No. 4099] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025/BHADRA 26, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर-पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 16 सितम्बर, 2025

का.आ. 4216(अ).—केंद्रीय सरकार रेल अधिनियम 2008 (2008 का 11) जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण उनके नीचे अनुसूची में दिया गया है। राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में विशेष रेल परियोजना “पुष्कर-मेड़ता (कल्यासनी) नयी बड़ी रेल लाइन परियोजना (विशेष रेल परियोजना)” के सन्दर्भ में एतद द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषित करता है ।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, अधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधी के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप धारा (1) के तहत उपरोक्त उद्देश्य के लिये ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग संबंध में आपत्ति कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आदेश सक्षम अधिकारी अर्थात सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर को लिखित रूप से किया और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम अधिकारी अपेक्षाकर्ता को व्यकतिगत रूप से या विधि व्यवसायी के मध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच यदि कोई है जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे करने के पश्चात आदेश व्दारा या तो आक्षेप का अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकेगा।

अनुसूची

भारतीय रेलवे विशेष रेल परियोजना **"पुष्कर-मेड़ता (कत्यासनी) नयी बड़ी रेल लाइन परियोजना (विशेष रेल परियोजना)** के लिए अवाप्ताधीन सार्वजनिक भूमि का संरचना सहित या रहित संक्षिप्त विवरण :-

क्र. सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा नंबर	भूमि का प्रकार	अवाप्त रकबा (वर्ग मी में)	अवाप्त रकबा (हैक्टैयेर में)
1	अजमेर	पुष्कर	गनाहेडा	3220/539	सरकारी	434.310	0.0434
2	अजमेर	पुष्कर	गनाहेडा	3079/594	निजी	1669.173	0.1669
3	अजमेर	पुष्कर	गनाहेडा	613/2682	निजी	99.990	0.00999
4	अजमेर	पुष्कर	नान्द	3210/3190	निजी	175.000	0.0175
					कुल	**2378.473**	**0.2378**

[फा. सं. उपरे /मुख्यालय /एस एण्ड सी /443599200 भाग-20]

राजीव श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 16th September, 2025

S.O. 4216(E).—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 20A of the Railway Act 2008, (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for execution. maintenance, management and operation of Special Railway Project of **"Pushkar-Merta (Katyasani) New BG line Project (Special Rail Project)"** in the stretch of land in **Tehsil Pushkar of district of Ajmer** in the state of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of seven days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to competent authority, namely, the Sub divisional officer Pushkar in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objection and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure for Special Railway Project namely **"Pushkar-Merta (Katyasani) New BG line Project (Special Rail Project)".**

Sr. No.	Name of Disritct	Name of Tehsil	Village Name	Survey No./ Khasra No.	Type of Land	Acquired Area (in Sq. Mtr.)	Acquired Area (in Hact.)
1	Ajmer	Pushkar	Ganaheda	3220/539	Government	434.310	0.0434
2	Ajmer	Pushkar	Ganaheda	3079/594	Private	1669.173	0.1669
3	Ajmer	Pushkar	Ganaheda	613/2682	Private	99.990	0.009999
4	Ajmer	Pushkar	Nand	3210/3190	Private	175.00	0.0175
					Total	**2378.473**	**0.2378**

[F. No. NWR/HQ/S&C/ 443599200 Vol- XX]

RAJEEV SHRIVASTAVA, Chief Administrative Officer (Construction)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.09.19 16:08:08 +05'30'